Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

▫ वर्ष- 29 ▫ अंक- 194 ▫ रायपुर, गुरुवार 6 अगस्त 2026 ▫ पृष्ठ-8 ▫ मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

ब्रेकिंग न्यूज

कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज

रायपुर, 6 अगस्त (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ के चर्चित कोल लेवी और शराब घोटाला मामलों में आरोपी कांग्रेस नेता एवं प्रदेश कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को अदालत से राहत नहीं मिली।

रायपुर की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कोल लेवी मामले में 14 अगस्त और शराब घोटाला मामले में 19 अगस्त तक न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया। रामगोपाल अग्रवाल करीब तीन साल तक फरार रहने के बाद 8 जुलाई 2026 को ईओडब्ल्यू कार्यालय पहुंचकर आत्मसमर्पण किया था। जांच एजेंसी का आरोप है कि उनकी भूमिका कथित कोल लेवी, शराब घोटाले और कस्टम मिलिंग से जुड़े पैसों के प्रबंधन में रही है। एजेंसी का कहना है कि मामले में वित्तीय लेन-देन और दस्तावेजों की जांच अभी जारी है। वहीं, शराब घोटाले की जांच श्रष्ठ और ईओडब्ल्यू सहित अन्य एजेंसियां भी कर रही हैं। फिलहाल कोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में ही रखने का आदेश दिया है।

नायब तहसीलदार-जनपद सदस्य पर करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप

रायपुर/आरंग, 6 अगस्त (हाईवे चैनल)। आरंग क्षेत्र के प्रभावशाली जन प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ एक करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। रायपुर के निवासी ने मांडले बंधुओं पर जमीन सौदे में पूरी रकम लेकर भी रजिस्ट्री नहीं करने और रकम नहीं लौटाए जाने का आरोप लगाया है। राजधानी रायपुर के निवासी कुलदीप पाण्डेय ने आरंग में एक पत्रकार वार्ता लेकर आरोप लगाया कि वर्ष 2024 में उन्होंने भानसोज (आरंग) स्थित एक भूमि को खरीदने के लिए जमीन मालिकों राज आशीष मांडले (नायब तहसीलदार), अमर आशीष मांडले (जनपद सदस्य, आरंग), त्रिविहार आशीष मांडले और अगरबाई मांडले के साथ विधिवत अनुबंध किया था। इस सौदे के तहत उन्होंने कुल 1.01 करोड़ रुपये का भुगतान किया, जिसमें से 88 लाख रुपये बैंक ट्रांजैक्शन के माध्यम से और 13 लाख रुपये नकद दिए गए थे। इस भुगतान का स्पष्ट उल्लेख एग्रीमेंट के दस्तावेजों में भी दर्ज है। इसके अलावा प्रारंभिक एग्रीमेंट में राकेश कुमार बागरेचा और शशांग बागरेचा भी पक्षकार के रूप में शामिल रहे हैं। एग्रीमेंट के कुछ महीनों बाद जनपद सदस्य अमर आशीष मांडले ने खुद पीड़ित के घर आकर सौदा आगे न बढ़ाने की बात कही। जब पीड़ित ने अपनी राशि वापस मांगी, तो भुगतान करने से इनकार कर दिया गया।

चूहा- सुनती हो, शेख हसीना कह रहीं हैं कि चाहे जिऊं या मरूं दिसंबर में लौटूंगी बांग्लादेश।
चुहिया- हां जी, अपना वतन अपना ही होता है..!

आदिवासी छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत

बोरियाकला में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी बीएड छात्रा

बहन ने पार्टनर पर लगाया गंभीर आरोप

रायपुर, 6 अगस्त (हाईवे चैनल)। राजधानी रायपुर के बोरियाकला हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही आदिवासी छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतका के शरीर और गले पर चोट के निशान मिले हैं, जिससे मारपीट के बाद गला घोंटकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मृतका के साथ रहने वाले छात्र को हिरासत में ले लिया है।

घटना मुजगहन थाना क्षेत्र के बोरियाकला हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की है। मृतका भारती नेताम (19) पिता रतिराम नेताम, मूल रूप से कांकेर जिले के कोकपुर की रहने वाली थी। वह रायपुर के विकास महाविद्यालय में बीएड की पढ़ाई कर रही थी और पिछले 6-7 महीनों से कोंडागांव के रावतपुरा सरकार महाविद्यालय के छात्र सावंत बघेल के साथ बोरियाकला हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में किराए के मकान में लिव-इन में रह रही थी। मृतका की बड़ी बहन देविका नेताम ने पुलिस को बताया कि सावंत बघेल किसी अन्य के संपर्क में होने के संदेह में अक्सर भारती के साथ मारपीट करता था। भारती ने एक दिन पहले फोन करके बताया कि सावंत ने फिर मारपीट की है। वह कोकपुर लौटना चाहती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तब उसने ऑनलाइन 3 हजार रुपए ट्रांसफर किए थे। इसके बाद 4 अगस्त की रात उसे फोन से सूचना मिली कि भारती को मेकाहारा इलाज के लिए ले जाया गया है, जहां उसकी मौत हो गई, जिसके बाद देविका 5 अगस्त को पिता और बहन के साथ रायपुर पहुंची। मृतका की बांयी आंख के नीचे, गर्दन के पीछे चोट के साथ ही खून जमने के निशान मिले हैं। आरोप लगाया गया है कि सांवत ने ही भारती की हत्या की है। देविका की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मुख्य संदेही सावंत को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

एकलव्य छात्रावास में छात्र की मौत, बाथरूम में फंदे से लटका मिला शव, मचा हड़कंप

सक्ती, 6 अगस्त (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां एक छात्र का शव एकलव्य आदर्श छात्रावास के बाथरूम में फंदे से लटका मिला है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

यह पूरा मामला एकलव्य आदर्श बालक छात्रावास ग्राम पलाड़ी खुर्द का है। मृतक छात्र का नाम उमेश कंवर था, जो कक्षा 9वीं में पढ़ता था और ग्राम बासिन का रहने वाला था। गुरुवार सुबह जब अन्य छात्र बाथरूम गए, तो इस घटना का खुलासा हुआ। उमेश बाथरूम में फांसी के फंदे पर लटका मिला। स्कूल प्रबंधन ने छात्र को सक्ती अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर इस घटना को लेकर परिजनों में भारी आक्रोश है। बताया जा रहा है कि पहले भी स्कूल प्रबंधन की शिकायत लेकर छात्र कलेक्टर कार्यालय गए थे। फिलहाल मामले की जांच जारी है।

लकड़ी बीनने जंगल गए दो ग्रामीणों पर भालू ने हमला कर किया जख्मी

धमतरी, 6 अगस्त (हाईवे चैनल)। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम अमलीडीह निवासी रामप्रसाद पिता गाडाराय हलबा सुबह 7 बजे जलाऊ लड़की लाने जंगल की तरफ गया था, तभी अचानक भालू ने हमला कर दिया। भालू के हमले से रामप्रसाद को गले में गम्भीर चोटें आई है। वही दूसरी घटना सुबह 9 बजे की है। जलाऊ लड़की बीनने के लिए परसाबुढ़ा निवासी रामप्रसाद पिता बुधुराम साहू रेंगाडीह बिट पर गया था। जिस पर भालू ने हमला कर दिया। दोनों घटना आधा किलोमीटर के दायरे में हुई है। हमले में घायल रामप्रसाद को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मगरलोड लाया गया। जहाँ डॉक्टरों ने परसाबुडा निवासी रामप्रसाद को सिर में गहरी चोट लगने से धमतरी रिफर किया। वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों को जंगल न जाने की अपील की है एवं घायलों को तत्कालिक कुछ सहयोग राशि प्रदान की गई। डिप्टी रेंजर प्रेम लहरें ने कहा कि वन क्षेत्रों में अकेले जाने से बचें विशेष रूप से सुबह और शाम के समय घने जंगलों या संवेदनशील क्षेत्रों में अकेले जाने से पूरी तरह परहेज करें।

अतीक अहमद के बेटे आबान समेत दो की हादसे में मौत

3 घायल, जेल में बंद भाई अली से मिलने आ रहे थे झांसी

नई दिल्ली, 6 अगस्त (न्यूज चैनल)। अतीक अहमद के बेटे आबान समेत दो लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी लोग प्रयागराज से झांसी जेल अली अहमद से मिलने आ रहे थे। झांसी के थाना पूंछ इलाके में हाईवे पर उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई और हादसा हो गया। अली को प्रयागराज के नैनी जेल से 1 अक्तूबर 2025 को झांसी जेल शिफ्ट किया गया था। तभी से वह यही बंद है।

कार में सवार प्रयागराज के फटवा निवासी 28 वर्षीय अहजम पुत्र मोहम्मद फारुख, 30 वर्षीय मोहम्मद जैद पुत्र जावेद अहमद, 24 वर्षीय उमर पुत्र अरसद, आबान अहमद पुत्र अतीक अहमद एवं सोनू खान झांसी आ रहे थे। इसी दौरान रास्ते में थाना पूंछ इलाके के खिल्ली गांव के पास हाईवे पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का

अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना में अतीक अहमद के बेटे आबान एवं सोनू खान की मौत हो गई है। अन्य तीन लोगों को नाजुक हाल में झांसी मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। मौके पर पहुंची पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

यौन उत्पीड़न मामले में तरुण तेजपाल दोषी करार

नई दिल्ली, 6 अगस्त (न्यूज चैनल)। वर्ष 2013 के चर्चित यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व तहलका संपादक तरुण तेजपाल को बड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा उन्हें बरी किए जाने के फैसले को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने तेजपाल को दुष्कर्म और महिला की मर्यादा भंग करने का दोषी ठहराया है। यह मामला 2013 में एक महिला सहकर्मी के साथ कथित यौन उत्पीड़न से जुड़ा है, जिसने देशभर में काफी चर्चा बटोरी थी। मामले में न्यायमूर्ति नीला गोखले और अमित जमसंडेकर की पीठ ने तेजपाल को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376(2)(एफ) (विश्वास या अधिकार की स्थिति का दुरुपयोग कर दुष्कर्म), 354(ए) (यौन उत्पीड़न) और 354(बी) (महिला के कपड़े उतारने की नीयत से हमला या बल प्रयोग) के तहत दोषी ठहराया है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बरी करने का फैसला किया रद्द

सजा पर सुनवाई के दौरान तेजपाल के वकील ने अदालत से नरमी बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि तरुण तेजपाल राजनीतिक कारणों से निशाना बनाए गए हैं और वह दो बेटियों के पिता हैं। वकील ने इन आधारों पर अदालत से सजा तय करते समय राहत देने का अनुरोध किया। फिलहाल हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि का फैसला सुनाया है। सजा की अवधि पर अदालत का अंतिम आदेश आना बाकी है। मामले पर आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। इस मामले में गोवा के एडवोकेट जनरल देविदास पंगम ने कहा, कोर्ट ने सजा की अवधि के सवाल पर आरोपी का पक्ष सुना है। कोर्ट सजा के बारे में आदेश सुनाएगी। इस मामले में आदेश के लिए आज दोपहर 2:30 बजे का समय तय किया गया है। वहीं, इस मामले में गोवा पुलिस की सुनीता सावंत, जो तरुण तेजपाल यौन उत्पीड़न मामले में जांच अधिकारी थीं, ने कहा, मामले की जांच ठीक से की गई थी। जांच के दौरान सामने आई सभी बातें कोर्ट के सामने रखी गईं। एक समय ऐसा आया जब ट्रायल कोर्ट सबूतों को समझने में पीछे रह गया था। हाई कोर्ट के सामने हर बात पर बहस हुई। हाई कोर्ट ने बरी करने के आदेश को रद्द कर दिया है।

नीट ओएमआर शीट से छेड़छाड़ मामले में हाईकोर्ट की टिप्पणी

कहा- बिना ठोस सबूत के आधार पर गंभीर आरोप नहीं किया जा सकता स्वीकार

बिलासपुर, 6 अगस्त (हाईवे चैनल)। हाईकोर्ट ने कहा है कि नीट उम्मीदवार की ह्स्क्र शीट से छेड़छाड़ के आरोप गंभीर हैं और ठोस सबूत के बिना, सिर्फ शक, अंदाजे या अपनी सोच के आधार पर इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि तय तरीका उपलब्ध नहीं था या बेकार था, तो कोई उम्मीदवार परीक्षा लेने वाली संस्था की शिकायत निवारण प्रक्रिया को नजरअंदाज करके

सीधे अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट के रिट अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच नीट यूजी-2026 के एक उम्मीदवार की रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने अपनी मूल ह्स्क्र शीट दिखाने और अपनी उत्तर पुस्तिका का दोबारा मूल्यांकन कराने की मांग की थी।

याचिकाकर्ता का तर्क था कि हालांकि स्कैन की गई ओएमआर शीट पर रोल नंबर, बुकलेट नंबर और हस्ताक्षर उसके ही थे, लेकिन उसमें दिए गए उत्तर परीक्षा के दौरान उसके द्वारा चिह्नित उत्तरों से काफी अलग थे। छात्र ने आरोप लगाया कि उसकी मूल ओएमआर शीट से छेड़छाड़ की गई, जिसके कारण उसे अपने द्वारा किए गए उत्तरों के आधार पर अपेक्षित 600 से अधिक अंकों के बजाय केवल 200 अंक मिले। प्रतिवादियों ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि तय प्रक्रिया का पालन न करने और शिकायत निवारण तंत्र को नजरअंदाज करने के कारण याचिकाकर्ता कोर्ट के असाधारण अधिकार क्षेत्र का लाभ नहीं मांग सकता।

आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से आंशिक राहत; अंतरिम जमानत नहीं मिली

नई दिल्ली, 6 अगस्त (न्यूज चैनल)। सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम को फिलहाल अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। हालांकि, अदालत ने उन्हें अपनी पसंद का एक प्रशिक्षित केयरटेकर (देखभाल करने वाला) रखने की अनुमति दे दी, जो 24 घंटे उनकी चिकित्सकीय जरूरतों का ध्यान रख सकेगा। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ ने स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत मांगने वाली आसाराम की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे फिलहाल लंबित रखा। अदालत ने कहा कि यदि भविष्य में उनकी तबीयत और बिगड़ती है तो वे दोबारा अदालत का रुख कर सकते हैं। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि आसाराम ने यह तथ्य छिपाया है कि उनके वकील ने पहले पैरोल के लिए भी आवेदन किया था। इस पर आसाराम के वकील ने कहा कि पैरोल की अर्जी पहले दायर की गई थी और वह स्वास्थ्य कारणों के आधार पर नहीं थी।

दुनिया को टैरिफ का डर दिखाते-दिखाते खुद फंसे ट्रंप, अमेरिका लौटा रहा 100 अरब डॉलर

नई दिल्ली, 6 अगस्त (न्यूज चैनल)। अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा (सीबीपी) की ओर से दायर एक याचिका के अनुसार अमेरिका ने ट्रंप के लिबरेशन डे टैरिफ के तहत लगभग 100 अरब अमेरिकी डॉलर का रिफंड प्रोसेस किया है। इन टैरिफ को बाद में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। यह एजेंसी के इतिहास में टैरिफ रिफंड की सबसे बड़ी कोशिशों में से एक है। यह रिफंड अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम के तहत लगाए गए अतिरिक्त मूल्य-आधारित शुल्कों से संबंधित है, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने इस साल फरवरी में रद्द कर दिया था। संसाधित राशि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित टैरिफ के तौर पर जमा किए गए लगभग 166 अरब अमेरिकी डॉलर के आधे से ज्यादा हिस्से के बराबर है।

सीबीपी के व्यापार कार्यालय में व्यापार कार्यक्रम निदेशालय के कार्यकारी निदेशक ब्रेंडन लॉर्ड की ओर से दायर घोषणा के अनुसार, एजेंसी ने अपने ऑटोमेटेड कमर्शियल एनवायरनमेंट प्लेटफॉर्म में योग्य रिफंड की गणना और प्रोसेसिंग के लिए एक नई सिस्टम क्षमता विकसित की है। वहीं, कंसोलिडेटेड एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ एंट्रीज नाम की नई सुविधा 20 अप्रैल, 2026 को इंपोर्टर्स और कस्टम्स ब्रोकर्स के लिए उपलब्ध हो गई। लॉर्ड ने अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालय में दायर घोषणा में कहा, शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026 को ईस्टर्न टाइम के अनुसार दोपहर 3 बजे तक, सीएपीई में प्रोसेसिंग के लिए लगभग 128.68 अरब अमेरिकी डॉलर के संभावित और सर्टिफाइड रिफंड स्वीकार किए जा चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि सीएपीई रिफंड घटक के माध्यम से शुल्क और ब्याज सहित लगभग 100 अरब अमेरिकी डॉलर की राशि का रिफंड पूरा हो चुका है, जिसे सीबीपी की ओर से प्रमाणित किया गया है और वितरण के लिए अमेरिकी वित्त विभाग को भेज दिया गया है।

सीबीपी ने बताया कि सीएपीई प्रणाली ने शुरू होने के बाद से लाखों धनवापसी आवेदनों पर कार्रवाई की है। 31 जुलाई, 2026 तक, 252,496 सीएपीई आवेदन जमा किए गए थे, जिनमें से 178,213 आवेदन सत्यापन में सफल रहे। टैरिफ रिफंड का संबंध ट्रंप प्रशासन की ओर से कुछ टैरिफ लगाने के लिए आईईईपीए के उपयोग को लेकर दायर की गई कानूनी चुनौती से है, यह नीति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार और विदेश नीति दोनों के एजेंडे का एक प्रमुख घटक बन गई थी। फरवरी में, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत के फैसले में कहा कि 1977 के आईईईपीए के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति के पास लगभग सभी अमेरिकी व्यापारिक साझेदारों से आने वाले सामानों पर व्यापक आयात शुल्क लगाने का अधिकार नहीं है।

अमित शाह के बयान पर अड़ा विपक्ष रिजिजू बोले- 'खड़गे थोप रहे शर्तें'

नई दिल्ली, 6 अगस्त (न्यूज चैनल)। गुरुवार को राज्यसभा में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी बहस हुई। विपक्ष पिछले महीने छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग करता रहा। सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्षी सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारे लगाए और मांग की कि गृह मंत्री सदन में आकर उनकी चिंताओं का जवाब दें। हंगामे के बीच, मल्लिकार्जुन खड़गे ने चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन से आग्रह किया कि वे गृह मंत्री को राज्यसभा में आकर बयान देने का निर्देश दें।

रिजिजू ने इस मांग पर आपत्ति जताते हुए कहा कि विपक्ष के नेता पिछले सात दिनों से यही मुद्दा उठा रहे हैं और नियम इस तरह के निर्देश की इजाज़त नहीं देते हैं। रिजिजू ने कहा कि आप चेयर को निर्देश नहीं दे सकते, और जोड़ा कि विपक्ष के नेता सदन को अपनी शर्तें नहीं थोप सकते। रिजिजू ने खड़गे पर विपक्ष के नेता के पद का गलत इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया और कहा कि विपक्ष बार-बार उसी मुद्दे को उस तरह से नहीं उठा सकता, जैसा वे कर रहे थे। मंत्री ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि पार्टी नेतृत्व उन्हें अपना पहला भाषण देने का मौका नहीं दे रहा है, इसलिए वह सदन के बीचों-बीच (वेल में) आकर नारे लगा रहे हैं। इस तीखी बहस के बीच, राज्यसभा के सभापति ने रिजिजू से कहा कि वह विपक्ष की बात गृह मंत्री तक पहुंचा सकते हैं। विपक्ष, छात्रों के ख़िलाफ़ पुलिस की कार्रवाई पर अमित शाह के बयान, राम मंदिर के चंदे में हेराफेरी पर चर्चा और जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहा है।

इससे पहले बुधवार को, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने संसद में प्रेरणा स्थल पर गांधी जी की मूर्ति से मकर द्वार तक मार्च निकाला।